अध्याय-VII

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

7.1 निष्कर्ष

जल जीवन मिशन की परिकल्पना 2024 तक राज्य के 50 लाख घरों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है। राज्य मार्च 2024 तक 38.97 लाख घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्राम कार्य योजनाओं एवं जिला कार्य योजनाओं की तैयारी में बॉटम-अप दृष्टिकोण का अभाव था। राज्य कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाएँ अवास्तविक एवं त्रुटिपूर्ण थीं, परिणामस्वरूप, राज्य मिशन अवधि के दौरान वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। मौजूदा योजनाओ का रेट्रोफिटिंग, तय समय पर आकांक्षी जिलों को कवर करने जैसी योजनाओ को प्राथमिकता नहीं दी गई।

बहु ग्राम योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पहचाने गए गाँवों को बहु ग्राम योजना के अंतिम रूप न दिए जाने एवं विलंब से प्रारंभ करने के कारण, गैर-स्थायी भूजल स्रोत आधारित एकल ग्राम योजना एवं रेट्रोफिटिंग योजनाओं के साथ कार्य निष्पादित किया जा रहा था। जल के कम आबंटन से जल जीवन मिशन मानदंडो के अनुसार पेयजल की न्यूनतम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर से वंचित कर सकता है, जिससे संपूर्ण बहु ग्राम योजना की स्थिरता प्रभावित हो सकती हैं।

सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम से अधिक क्षमता से अधिक जुड़े अतिरिक्त कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन पेयजल के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के निर्धारित न्यूनतम सेवा स्तर को प्रदान करने में विफल रहे। वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारण, राज्य मिशन को ₹ 3,285.38 करोड़ का केंद्राश एवं ₹ 3,194.66 करोड़ का संबंधित राज्यांश प्राप्त नहीं हो सका। विस्तृत, मद-वार दर विश्लेषण किए बिना एकीकृत दर अनुसूची का संशोधन करने से अविश्वसनीय लागत अनुमान तैयार किये गये। राज्य मिशन द्वारा सामुदायिक अंशदान तथा अन्य केंद्रीय व राज्य योजनाओं के अभिसरण से धनराशि एकत्र नहीं की थी। गाँवों में क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों में कमी पायी गई।

जल गुणवत्ता परीक्षण के आधारभूत संरचना, राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता एवं निधियों के कम उपयोग में महत्वपूर्ण कमियाँ थी। जल गुणवत्ता परीक्षण के लक्ष्य को प्राप्त न करना, मानसून से पहले एवं बाद की अवधि के दौरान बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण न करना, दूषित नमूनों का पुनः परीक्षण न करना, कर्मचारियों की भारी कमी एवं कर्मचारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण देना पाए गए।

छत्तीसगढ़ शासन का लक्ष्य 2024 तक 19,656 गाँवों को 'हर घर जल' प्रमाणित करना था, जिसके सापेक्ष 716 गाँवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अधूरे योजनाओं वाले गांवों की 'हर घर जल' प्रतिवेदित करने एवं प्रमाणन के उदाहरण देखे गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य मार्च 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे चल रहा था, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार उपलब्धि 78 प्रतिशत थी, लेकिन आंकड़े जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रारंभिक बुनियादी ढांचे की स्थापना होने के बावजूद, जल कनेक्शनों की विश्वसनीयता एवं कार्यशीलता के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को दर्शाते है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निष्पादित जलापूर्ति प्रणालियों को अपर्याप्त योजना सौर-आधारित प्रणालियों का खराब डिजाइन, स्थायी जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना योजनाओं का निष्पादन, जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त परीक्षण, वित्तीय संसाधनों एवं सामुदायिक भागीदारी में कमी एवं कमजोर संस्थागत निगरानी के कारण स्थिरता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। योजना पूरी किए बिना एवं उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित किए बिना कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को अधिक प्रतिवेदित करने एवं गलत 'हर घर जल' प्रमाणन ने योजना को और अधिक नुकसान पहुँचाया अतः ग्रामीण आबादी को दीर्घकालिक स्थायी पेयजल आपूर्ति प्रदान करने में विफलता का जोखिम उच्च बना हुआ है।

7.2 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, हम सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकार को चाहिए कि :

- ***निधियों की वास्तविक स्थिति एवं अपूर्ण कार्यों का आकलन करना एवं जलापूर्ति योजनाओं को यथासमय पूर्ण किया जाए विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में।***
- ***शीर्ष स्तर पर निधियों के अभिसरण के लिए अंतर-विभागीय समन्वय हेतु सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं अपनाई जाए।***

- *लेखापरीक्षा द्वारा इंगित गलत प्रमाणीकरण के मुद्दों को सुलझाने हेतु 'हर घर जल' को प्रतिवेदित करने एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा कराई जाए।*
- *पर्याप्त जनशक्ति एवं उपकरणों के साथ राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्रियाशील जल परीक्षण प्रयोगशालाएं सुनिश्चित किया जाए।*
- *योजनाओं की स्थिरता हेतु समीक्षा की जाए जिसमें सामुदायिक स्वामित्व, जल स्रोत पहचान पर विशेष ध्यान दिया जावे जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।*

रायपुर — **(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)**

दिनांक : 30 मार्च 2026 — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक : 06 अप्रैल 2026 — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**